

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2016 की विविध अपील संख्या 346

=====

राजू कुमार, पुत्र- सैलेश कुमार निवासी - अनीसाबाद (टेलीफोन एक्सचेंज के पास),
थाना- बेठर, जिला-पटना।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

श्रीमती सुशीला देवी, पत्नी- राजू कुमार, पुत्री- श्री ओम प्रकाश यादव निवासी - गाँव-
सवाजपुर, थाना- जहानाबाद, जिला-जहानाबाद।

..... प्रत्यर्थी/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री संतोष कुमार सिन्हा-2, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री सिद्धार्थ हर्ष, अधिवक्ता

=====

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984---धारा 19(1)--- हिंदू विवाह अधिनियम---
धारा 13(1)(आई-ए)(आई-बी)---भारतीय दंड संहिता---धारा 498 ए, 328, 379, 34---
दहेज प्रतिषेध अधिनियम---धारा 3/4---क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह
विच्छेद के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर वैवाहिक मुकदमे की बर्खास्तगी के खिलाफ
अपील---निष्कर्ष: अपीलकर्ता ने वर्ष 2009 में परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद
की मांग करते हुए वर्ष 2010 में वैवाहिक मुकदमा दायर किया और मुकदमे में कहा
कि प्रतिवादी-पत्नी अगस्त, 2009 तक उसके साथ रहती थी---हिंदू विवाह अधिनियम

की धारा 13 की उप-धारा 1 के प्रावधान (1-बी) के मद्देनजर वैवाहिक मुकदमा समय से पहले प्रतीत होता है जो यह निर्धारित करता है कि परित्याग करने वाले पक्ष को विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर करने से पहले दो वर्षों से अलग रह रहे हैं---यह अच्छी तरह स्थापित स्थिति है कि क्रूरता इस प्रकार का चरित्र और आचरण है जो दूसरे पति या पत्नी के मन में यह उचित आशंका पैदा करता है कि उसके लिए ओ.पी.-प्रतिवादी के साथ रहना हानिकारक और हानिकर होगा--- मात्र छोटी-मोटी चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, विवाहित जीवन में सामान्य टूट-फूट जो दिन-प्रतिदिन होती रहती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी---अपीलार्थी पति, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार को ठोस, सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर साबित करने में असफल रहा है, जबकि क्रूरता साबित करने का भार इस मामले में अपीलार्थी/पति पर है---पति-पत्नी के दिन-प्रतिदिन के वैवाहिक जीवन में कभी-कभी कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का प्रयोग दूसरे पति या पत्नी को प्रतिशोध देने के लिए हो सकता है, लेकिन यह तलाक लेने के लिए न्यायोचित/टिकाऊ आधार नहीं हो सकता---तलाक चाहने वाली अपीलकर्ता का वैवाहिक मामला पारिवारिक न्यायालय द्वारा सही रूप से खारिज किया गया---अपील खारिज। (पैरा- 28-30, 33-35)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. सिंह

कैव जजमेंट

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. सिंह)

दिनांक: 07-02-2025

पक्षकारों को सुना।

2. वर्तमान अपील परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के तहत दायर की गई है, जिसमें 2013 के वैवाहिक मामला संख्या 32 में परिवार न्यायालय, जहानाबाद के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा 25.01.2016 को पारित किए गए निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा दायर वैवाहिक मुकदमा, क्रूरता और त्याग के आधार पर विवाह को भंग करने की मांग करता है, को खारिज कर दिया गया है।

3. परिवार न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार अपीलार्थी का मामला यह है कि प्रत्यर्थी के साथ अपीलार्थी का विवाह हिंदू अधिकार और रीति-रिवाजों रीति-रिवाजों के अनुसार 24.06.2002 को किया गया था/संपन्न हुई। विवाह के बाद, प्रत्यर्थी-पत्नी अपीलार्थी-पति के घर आई और दो महीने तक पति-पत्नी के रूप में साथ रही। अपने वैवाहिक घर में रहने के दौरान, प्रत्यर्थी का अपने पति और

ससुराल के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार उसके रहने के दौरान सौहार्दपूर्ण नहीं था, प्रत्यर्थी हमेशा दुर्व्यवहार करती थी, अपमानित करती थी और अपीलार्थी की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए अपने माता-पिता और रिश्तेदारों की उपस्थिति में अपीलार्थी-पति को फटकार लगाती थी। अंततः, प्रत्यर्थी ने वर्ष 2009 में अपने सभी आभूषणों के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और तब से वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है। अपीलार्थी-पति ने प्रत्यर्थी -पत्नी के साथ मामले को सुलझा लेने के लिए अपने सभी प्रयास किए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे।

4. यह अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि परिवार न्यायालय अपीलार्थी पर की गई क्रूरता की सराहना करने में विफल रहा है। इस मुद्दे पर अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी अपने वैवाहिक घर में शामिल होने और संयुक्त परिवार में रहने या ससुराल में रहने के लिए तैयार नहीं थी। अपीलार्थी-पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) और अन्य संबद्ध धाराओं के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-पति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए नियोक्ता के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये मुद्दे यह कहने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी पारिवारिक दायरे में और अपने कार्यस्थल पर और पूरे समाज में चरित्र हनन, अपमान और शर्मिंदगी का सामना कर रहा था और ये मुद्दे मानसिक यातना के दायरे में आते हैं और प्रत्यर्थी -पत्नी के हाथों क्रूरता की ओर ले जाते हैं।

6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 498 (ए) के उपरोक्त आरोपों और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, महिला आयोग के समक्ष शिकायत और नियोक्ता के समक्ष भी शिकायत यह नियत करने के लिए पर्याप्त होगी

कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के हाथों क्रूरता का सामना करना पड़ा। अंततः, 31.10.2022 को, अपीलार्थी ने सेवा/नौकरी से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली। परिवार न्यायालय द्वारा इसकी सराहना नहीं की गई है। उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा (2013) 5 एससीसी पृष्ठ सं. 226 (पैरा-11,16,27,29 और 34) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद द्वारा वैवाहिक (तलाक) मामले सं. 2013 का 32 में दिनांक 25.01.2016 को पारित विवादित आदेश, को रद्द करने और अपीलार्थी-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी के बीच 24.06.2002 को संपन्न विवाह को भंग/विघटित करते हुए तलाक की डिक्री देने के लिए उत्तरदायी है।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-पत्नी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी का विवाह अपीलार्थी के साथ दिनांक 24.06.2002 को हिंदू अधिकार और रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के बाद, प्रत्यर्थी-पत्नी अपने वैवाहिक घर में रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद, अपीलार्थी सहित ससुराल के सदस्यों ने दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए प्रत्यर्थी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुराल वालों के परिवार के सदस्यों ने भी प्रत्यर्थी को मारने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी -पत्नी के पिता ने अपीलार्थी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए), 328,379,34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत 06.12.2007 को 2007 का बेउर थाना /थाना मामला संख्या 65 दर्ज किया था। उपरोक्त मामले में, एक समझौता हुआ क्योंकि अपीलार्थी-पति ने न्यायालय के समक्ष एक वचन दिया कि वह उसकी पत्नी (प्रत्यर्थी) को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ रखेगा। उत्तरदाता-पत्नी, इसके बाद अपने वैवाहिक घर गई और अपने पति के साथ रहने लगी और अपने वैवाहिक घर में

पत्नी और बहू की जिम्मेदारी ली। लेकिन कुछ समय बाद, अपीलार्थी सहित ससुराल के परिवार के सदस्यों ने फिर से प्रत्यर्थी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अंततः उसे जनवरी, 2011 में अपने वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी के पिता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए)/34 के तहत बेउर थाना /थाना मामला संख्या 30/2011 फिर से दर्ज/दायर किया।

8. दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों के आधार पर, विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे: दस्तावेजों की सूची

1. क्या इस तरह से तैयार/फ्रेम किया गया सूट/मुकदमा बनाए रखने योग्य है?
2. क्या आवेदक के पास कार्रवाई का कारण और मुकदमा करने का अधिकार है?
3. क्या आवेदक त्याग/परित्याग के आधार पर तलाक लेने के लिए उत्तरदायी है और दूसरे/अन्य के साथ/संगत से त्याग/परित्याग के लिए कौन जिम्मेदार है?
4. क्या अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा प्रताड़ित किया गया था?
5. क्या प्रत्यर्थी का अपीलार्थी के साथ क्रूर व्यवहार विवाह भंग करने के लिए पर्याप्त है?
6. क्या अपीलार्थी कोई अन्य राहत या राहतें पाने का हकदार है?

9. मुकदमे/परीक्षण के दौरान, अपीलार्थी की ओर से कुल तीन गवाह पेश किए गए हैं जो पीडब्लू-1 शैलेश कुमार, पीडब्लू-2 संजय कुमार और पीडब्लू-3 राजू कुमार (अपीलार्थी) हैं।

10. गवाहों के उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अलावा, अपीलार्थी की ओर से कुछ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रदर्श-1-सत्र परीक्षण सं. 441/09 में गवाह डॉ. शांति राय के बयान की सीसी

प्रदर्श -2-सत्र परीक्षण सं. 441/09 में याचिकाकर्ता की याचिका

11. प्रत्यर्थी/विरोधी पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए हैं जो O.P.W-1 ओमप्रकाश, ओ.पी.डब्ल्यू-2 श्यामदेव यादव, ओ.पी.डब्ल्यू-3 सुशीला देवी (प्रत्यर्थी) हैं।

12. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अलावा, प्रत्यर्थी /विरोधी पक्ष की ओर से कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रदर्शित किए गए हैं।

प्रदर्श-ए, शैलेश कुमार की याचिका

प्रदर्श-बी, अपीलार्थी का बयान

प्रदर्श-सी, बेउर थाना मामला सं. 30/11 का सीसी

प्रदर्श-डी, बेउर थाना मामला सं. 65/07 का सीसी

प्रदर्श-डी/1, बेउर थाना मामला सं.-65/07 में आरोप-पत्र का सीसी

प्रदर्श-ई, उत्तरदाता के निदान/उपचार का सीसी

प्रदर्श-एफ, सत्र परीक्षण सं. 444/09 के आदेश-पत्रक का सीसी

प्रदर्श-जी, सत्र मामला सं. 444/09 की कॉपी (सीसी)

13. मुकदमे/विचारण के समापन के बाद, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी ने यह साबित नहीं किया है कि वह प्रत्यर्थी के हाथों क्रूरता के अधीन था और साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा छोड़/त्याग दिया गया था और अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा विचारणीय नहीं है और साथ ही अपीलार्थी के पास तत्काल मामला दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई वैध कारण नहीं है। तदनुसार, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता क्रूरता के साथ-साथ त्याग के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार नहीं था और तदनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया।

14. इसके बाद, 2013 के वैवाहिक मामला संख्या 32 में विद्वत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा दायर की गई है।

15. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री खराब है और विवेकपूर्ण दिमाग के उपयोग के बिना यांत्रिक रूप से पारित किया गया प्रतीत होता है। प्रत्यर्थी ने 2009 से अपीलार्थी को छोड़ दिया था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को उसके वैवाहिक घर में वापस लाने के कई प्रयास किए लेकिन प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी और अन्य ससुराल के सदस्यों के खिलाफ झूठे और तुच्छ मामले दर्ज करने में लगा हुआ था।

16. एक या दूसरे पति या पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक देने से संबंधित कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में स्पष्ट किया गया है। इन्हें निम्नलिखित रूप से निकाला जाता है:

17. *वी. भगत बनाम डी. भगत* के मामले में, जो *ए. आई. आर. 1994 एस.*

सी. 710 में रिपोर्ट किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 13 (1) (आई-ए) में मानसिक क्रूरता को मोटे/व्यापक तौर पर उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पक्ष को ऐसी मानसिक पीड़ा और कष्ट देता है जिससे उस पक्ष के लिए दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि पक्षों को उचित रूप से इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए नहीं कहा जा सके। यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि मानसिक क्रूरता याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के लिए है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचते समय, सामाजिक स्थिति, पक्षों के शैक्षिक स्तर, जिस समाज में वे रहते हैं, यदि वे पहले से ही अलग रह रहे हैं तो एक साथ रहने की संभावना या अन्यथा और अन्य सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिन्हें न तो संभव है और न ही पूरी तरह से निर्धारित करना वांछनीय है। एक मामले में जो क्रूरता है, वह दूसरे मामले में क्रूरता नहीं हो सकती है। यह प्रत्येक मामले में उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाने वाला मामला है। यदि यह आरोपों और आरोपों का मामला है, तो जिस संदर्भ में वे लगाए गए थे, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

18. *परवीन मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता, ए. आई. आर. 2002 एस. सी.*

2582, में रिपोर्ट किए गए मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा है: “21. धारा 13 (1) (आई-ए) के उद्देश्य के लिए क्रूरता को एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के प्रति व्यवहार के रूप में लिया जाना चाहिए, जिससे पति या पत्नी के मन में उचित आशंका पैदा होती है कि दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। मानसिक क्रूरता पति या पत्नी में से एक के साथ दूसरे के व्यवहार या व्यवहार के

कारण मन और भावना की स्थिति है। शारीरिक क्रूरता के मामले के विपरीत, मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित करना मुश्किल है। यह आवश्यक रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालने का विषय है। एक पति या पत्नी में दूसरे के आचरण के कारण होने वाली पीड़ा, निराशा और हताशा की भावना केवल उन उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करने के लिए सराहना की जा सकती है जिसमें वैवाहिक जीवन के दो साथी रह रहे हैं। सामूहिक/सम्मिलित रूप से लिए गए उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। मानसिक क्रूरता के मामले में अलग से दुर्यवहार का उदाहरण लेना और फिर यह सवाल उठाना कि क्या ऐसा व्यवहार अपने आप में मानसिक क्रूरता पैदा करने के लिए पर्याप्त है, सही तरीका नहीं होगा। दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का संचयी/सामूहिक प्रभाव लिया जाए और फिर एक उचित निष्कर्ष निकाला जाए कि क्या तलाक याचिका में याचिकाकर्ता को दूसरे के आचरण के कारण मानसिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है।”

19. *ए. जयचंद्र बनाम अनील कौर* के मामले में, *ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 534* में रिपोर्ट की गई, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिनियम में 'क्रूरता' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है। क्रूरता, जो विवाह के विघटन/विच्छेद का आधार है, को जानबूझकर और ऐसे चरित्र के अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक रूप से खतरे का कारण बनता है, या इस तरह के खतरे की उचित आशंका को जन्म देता है। मानसिक क्रूरता के सवाल पर उस विशेष समाज के वैवाहिक संबंधों के मानदंडों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जिससे वे संबंधित हैं, उनके सामाजिक मूल्य, स्थिति, वातावरण जिसमें वे रहते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, क्रूरता में मानसिक क्रूरता शामिल है, जो वैवाहिक गलती के दायरे में

आती है। क्रूरता शारीरिक नहीं होनी चाहिए। यदि पति या पत्नी के आचरण से यह स्थापित किया जाता है और/या वैध रूप से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पति या पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार है जिससे दूसरे पति या पत्नी के मन में उसके मानसिक कल्याण के बारे में आशंका पैदा होती है तो यह आचरण क्रूरता के बराबर है। विवाह जैसे नाजुक मानवीय संबंधों में, मामले की संभावनाओं को देखना पड़ता है। अवधारणा, संदेह की छाया से परे सबूत, आपराधिक मुकदमों पर लागू किया जाना है न कि दीवानी मामलों पर और निश्चित रूप से ऐसे नाजुक व्यक्तिगत संबंधों के मामलों पर नहीं जैसे कि पति और पत्नी। इसलिए, किसी को यह देखना होगा कि एक मामले में क्या संभावनाएं हैं और कानूनी क्रूरता का पता लगाना है, न केवल तथ्य के रूप में, बल्कि दूसरे के कार्यों या चूक के कारण शिकायतकर्ता पति या पत्नी के दिमाग पर प्रभाव के रूप में। क्रूरता शारीरिक या शारीरिक या मानसिक हो सकती है। शारीरिक क्रूरता में, ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन मानसिक क्रूरता के मामले में एक ही समय में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकता है, अदालतों को साक्ष्य में सामने लाई गई घटनाओं की मानसिक प्रक्रिया और मानसिक प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता होती है। यही विचार है कि वैवाहिक विवादों में साक्ष्य पर विचार करना पड़ता है।

20. *नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली* के मामले में, *ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1675* में रिपोर्ट की गई, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वैवाहिक मामलों में "क्रूरता" शब्द को सामान्य अर्थों में समझना होगा। यदि नुकसान पहुँचाने, परेशान करने या चोट पहुँचाने के इरादे का अनुमान उस आचरण या क्रूर कृत्य की प्रकृति से लगाया जा सकता है जिसकी शिकायत की गई है, तो क्रूरता आसानी से स्थापित हो सकती है। लेकिन इरादे की अनुपस्थिति से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी पक्ष के अनजाने में लेकिन अक्षम्य आचरण से क्रूरता के उदाहरण हो सकते हैं। क्रूर व्यवहार पक्षों के बीच सांस्कृतिक संघर्ष के परिणामस्वरूप भी हो सकता है।

मानसिक क्रूरता एक पक्ष द्वारा तब की जा सकती है जब दूसरा पति या पत्नी यह आरोप लगाता है कि याचिकाकर्ता एक मानसिक रोगी है, या उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता है, कि वह विभ्रम विकार और मानसिक मतिभ्रम से पीड़ित है, और सबसे बढ़कर, यह आरोप लगाना कि वह और उसके परिवार के सभी सदस्य पागल हैं/पागलों का एक समूह हैं। यह आरोप कि याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य पागल हैं और उसके पूरे परिवार में पागलपन की एक लकीर चलती है, भी मानसिक क्रूरता का एक कार्य है।

21. *रामचंदर बनाम अनंत* के मामले में, जो (2015) 11 एस. सी. सी. 539 में रिपोर्ट किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने फिर से कहा है कि क्रूरता के उदाहरणों को अलग-थलग नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को लिया जाना चाहिए और फिर एक उचित निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या वादी को दूसरे पति या पत्नी के आचरण के कारण मानसिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है।

22. इस प्रकार, यह सिद्धांत तय किया गया है कि क्या किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता क्रूरता के आधार पर तलाक देने का मामला बनाने में सक्षम रहा है, यह उस मामले में दलीलों और साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा और न ही कोई स्ट्रेटजैकेट/सख्त सूत्र हो सकता है और न ही उदाहरणों की एक विस्तृत सूची तैयार की जा सकती है, जहां क्रूरता को विवाह के एक या दूसरे पक्ष द्वारा किया गया कहा जाता है। किसी भी सूत्र को लागू करके क्रूरता का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि उक्त प्रश्न का निर्धारण पक्षों की सामाजिक स्थिति, उनकी वित्तीय और अन्य स्थितियों, वातावरण और उनके द्वारा किए जाने वाले रोजगार या व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, इन सभी में हस्तक्षेप करना

महत्वपूर्ण होगा कि क्या दिए गए आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ता के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना मुश्किल हो गया है और ऐसी डिग्री का व्यवहार जो क्रूरता के बराबर है।

23. सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों का वर्तमान मामले पर इस हद तक कुछ प्रभाव पड़ता है कि प्रत्यर्थी -पत्नी ने कार्यस्थल पर और समाज में भी अपीलार्थी-पति के चरित्र को धूमिल किया और यह अपीलार्थी के प्रति क्रूरता के समान है।

24. उपरोक्त आरोपों के कारण और प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ मामलों की शुरुआत अपीलार्थी के प्रति क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत आएगी।

25. परिवार न्यायालय अपीलार्थी के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा अनावश्यक रूप से आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और अपीलार्थी के नियोक्ता को शिकायत दर्ज करने के उपरोक्त मुद्दों की सराहना करने में विफल रहा है जिसने अपीलार्थी की छवि को उसके कार्यस्थल पर धूमिल किया है। ये क्रूरता के तत्व हैं और इसने अपीलार्थी को मानसिक रूप से आहत किया है। परिवार न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि प्रत्यर्थी का इरादा उसके पति के खिलाफ शुरू किए गए दो आपराधिक मामले के आलोक में अपने पति के साथ शामिल होने/रहने का नहीं था। आज तक भी, उन्होंने उन आरोपों को वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने विनम्र तरीके से हल करने के बजाय हाथ मोड़ने की विधि का पालन किया है। इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि वे 2009 से अलग रह रहे हैं और हम दिसंबर, 2024 के महीने में हैं। अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए दोषों या आरोपों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही प्रत्यर्थी इस समय अपने आरोपों को छोड़ने के लिए तैयार हो। एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे पर विवाह से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध

संबंध रखने का झूठा आरोप लगाना मानसिक क्रूरता के बराबर है। पति-पत्नी में से किसी के द्वारा भी दूसरे के लिए सामाजिक यातना, मानसिक यातना और क्रूरता के रूप में पाई गई। यह भी पर्याप्त है कि यदि क्रूरता इस प्रकार की है कि पति-पत्नी के लिए एक साथ रहना असंभव हो जाता है। इसलिए, यह एक ऐसा विवाह है जो 2009 से आज तक की अवधि के दौरान आपराधिक कार्यवाही की स्थापना और नियोक्ता को शिकायत के आलोक में अपरिहार्य रूप से टूट गया है।

26. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विवादित निर्णय और डिक्री न्यायसंगत, कानूनी और कानून के अनुसार है। विद्वत विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की उचित सराहना की है और अपीलार्थी की ओर से दायर तलाक के मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

27. प्रतिद्वंद्वी दलीलों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

(i) क्या अपीलार्थी अपनी याचिका/अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना का विवादित निर्णय कानून की नजर में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है।

28. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन और अपीलार्थी के विद्वान वकील के द्वारा की गई प्रस्तुतियों के साथ-साथ प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के द्वारा की गई प्रस्तुतियों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलार्थी-पति ने अपने साक्ष्य में बयान दिया है कि प्रत्यर्थी-

पत्नी हमेशा उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा करती थी, लेकिन शिकायत के साथ-साथ उसके साक्ष्य में तारीख का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है और न ही उसने किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई शिकायत की है। उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि इस तलाक का मामला दायर करने से पहले, प्रत्यर्थी -पत्नी के पिता ने अपीलार्थी और अन्य ससुराल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2007 का बेउर थाना मामला संख्या 65 दायर किया है और इस मामले में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ पत्नी के रूप में रखने का बीड़ा उठाया था, लेकिन कुछ समय बाद, फिर से प्रत्यर्थी को दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए प्रताड़ित किया जाता था और अंततः उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2010 में वैवाहिक मुकदमा दायर कर 2009 में त्याग के आधार पर विवाह को भंग करने की मांग की और मुकदमे में कहा कि प्रत्यर्थी -पत्नी अगस्त, 2009 तक उसके साथ रही। इसलिए, केवल इसी आधार पर, वैवाहिक मुकदमा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 1 के प्रावधान (1-बी) को ध्यान में रखते हुए अपरिपक्व होना दिखाई देता है, जो यह निर्धारित करता है कि परित्याग करने/छोड़ने वाला पक्ष विवाह के विघटन के लिए मुकदमा दायर करने से पहले दो साल से अलग रहना चाहिए। पी. डब्ल्यू.1 शैलेश कुमार, जो प्रत्यर्थी के ससुर हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अपीलकर्ता ने 30.09.2010 को प्रत्यर्थी-पत्नी को अपने घर में लाया और उसे आराम से रखा, लेकिन अचानक उसके पिता आए और 02.01.2011 को उसे अपने साथ ले गए, जो अपीलकर्ता-पति के इस आरोप को पूरी तरह से नकारता है कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने 2009 से उसे छोड़ दिया था।

29. जहाँ तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का संबंध है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता ऐसी चरित्र और

आचरण की है जो दूसरे जीवनसाथी के मन में एक उचित आशंका है कि ओ. पी.-उत्तरदाता के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह होगा।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष के प्रमुख मामले में जो 2007 (4) एस. सी. सी. 511 में बताया गया है कि एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस उपचार की शिकायत की गई है और जिसके परिणामस्वरूप खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होनी चाहिए। अधिक मामूली चिड़चिड़ापन, झगड़ा, विवाहित जीवन का सामान्य क्षय और आँसू जो दिन-प्रतिदिन के जीवन में होता है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

31. इस संदर्भ में, हम नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने के मामले में निर्णय के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए सुनहरे अवलोकन को उद्धृत करने के लिए प्रेरित होते हैं, जो ए. आई. आर. 1975, 1534 में रिपोर्ट किए गए थे, जो इस प्रकार हैं:

"एक अन्य मामला जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि हालांकि धारा 10 (1) (बी) के तहत, याचिकाकर्ता की आशंका है कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदायक होगा, यह उचित होना चाहिए, इस तरह की आशंका के संदर्भ को छोड़कर, एक उचित/समझदार व्यक्ति की अवधारणा को आयात करना/लाना गलत है, जैसा कि वैवाहिक संबंधों के निर्णय की लापरवाही के कानून के लिए जाना

जाता(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति) है। पति-पत्नी से निस्संदेह यह माना जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संयुक्त उद्यम का यथासंभव सर्वोत्तम संचालन करें, लेकिन यह वैवाहिक जीवन के तौर-तरीकों पर दार्शनिकता/विचार करना क्रूरता के आरोप की जांच करने वाली अदालत का कार्य नहीं है। कोई दिन का काम खत्म करने के लिए देर तक जागना चाह सकता है और कोई सुबह गोल्फ खेलने के लिए जल्दी उठना चाह सकता है। अदालत इनकी आदतों या शौक पर यह परीक्षण लागू नहीं कर सकती कि क्या एक समान स्थिति में स्थित एक समझदार व्यक्ति इसी तरह का/समान तरीके से व्यवहार करेगा। "यह सवाल कि क्या शिकायत की गई दुर्यवहार क्रूरता का गठन करती है और तलाक के उद्देश्यों के लिए ऐसा मुख्य रूप से कृत्यों की शिकायत करने वाले विशेष व्यक्ति पर इसके प्रभाव से निर्धारित होता है। सवाल यह नहीं है कि क्या आचरण एक उचित/समझदार व्यक्ति या औसत या सामान्य संवेदना वाले व्यक्ति के लिए क्रूर होगा, लेकिन क्या इसका पीड़ित पति या पत्नी पर वह प्रभाव पड़ेगा। जो एक व्यक्ति के लिए क्रूर हो सकता है उसे दूसरे द्वारा हंसकर टाल दिया जा सकता है, और जो परिस्थितियों के एक समूह के तहत एक व्यक्ति के लिए क्रूर नहीं हो सकता है वह परिस्थितियों के दूसरे समूह

के तहत अत्यधिक क्रूरता हो सकती है। न्यायालय को एक आदर्श पति और आदर्श पत्नी (यह मानते हुए कि ऐसा कोई अस्तित्व में है) के साथ नहीं, बल्कि उसके सामने मौजूद विशेष पुरुष और महिला के साथ व्यवहार करना होता है। आदर्श युगल या एक निकट-आदर्श व्यक्ति के पास शायद वैवाहिक अदालत में जाने का कोई अवसर नहीं होगा, भले ही वे अपने मतभेदों को आकर्षित करने/सुलझाने में सक्षम न हों, उनका आदर्श दृष्टिकोण उन्हें आपसी दोषों और विफलताओं को नजरअंदाज करने या छिपाने में मदद कर सकता है।”

32. तर्क/बहस के दौरान, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा झूठा मामला दर्ज किया गया था, लेकिन यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पटना के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचम, ने सत्र विचारण संख्या 2009 की 444/2014 की 4610 में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया था और उसे 2007 के बेउर थाना मामला संख्या 65 के संबंध में एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई थी, लेकिन अंततः, अपीलार्थी को इस माननीय न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 29.06.2017 को क्रिमिनल अपील (एस जे) संख्या 398 का 2015 में पारित निर्णय के माध्यम से बरी कर दिया गया था। इसलिए, केवल बरी होने का मतलब यह नहीं है कि यदि वास्तव में यह साबित होता है कि उक्त आपराधिक मामला गलत तरीके से स्थापित किया गया था। इसके अलावा, किसी भी अदालत ने यह नहीं देखा था कि उपरोक्त मामला गलत तरीके से स्थापित किया गया था।

33. अपीलार्थी-पति की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-पति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रत्यर्थी के क्रूर व्यवहार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य के बल पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता के सबूत का बोझ इस मामले के अपीलार्थी-पति पर है, क्योंकि उसने अपने प्रति प्रत्यर्थी के क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक से राहत मांगी है। परिवार न्यायालय के समक्ष शिकायत में कथित क्रूरता की तारीख के संदर्भ में एक भी कथित घटना का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा, कथित कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का उपयोग कभी-कभी पति और पत्नी के दिन-प्रतिदिन के वैवाहिक जीवन में दूसरे पति या पत्नी को बदला/प्रतिकार देने के लिए हो सकता है, लेकिन यह तलाक लेने के लिए एक उचित/टिकाऊ आधार नहीं हो सकता है। कुछ तुच्छ बयान या टिप्पणी या केवल एक पति या पत्नी को दूसरे को धमकी देने को क्रूरता की डिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो तलाक की डिक्री के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, तरीके की कठोरता/चिड़चिड़ापन और भाषा की कठोरता अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए और पले-बढ़े, जीवन के अलग-अलग मानकों में रहने वाले, अपनी शैक्षिक योग्यता की गुणवत्ता और समाज में अपनी स्थिति रखने वाले व्यक्ति से अलग हो सकती है जिसमें वे रहते हैं।

34. इस प्रकार, इस मामले के उपरोक्त सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, बहुत कम/और तो और, प्रत्यर्थी के क्रूर व्यवहार को भी, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है, साबित नहीं कर पाया है।

35. जहाँ तक त्याग/परित्याग के आधार का संबंध है, यह अपीलार्थी-पति (पीडब्लू -3) के साक्ष्य में यह आया है कि उस प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी ने वर्ष 2009 में उसे छोड़ दिया था, लेकिन पैरा 17 में उसने गवाही दी है कि वह वर्ष 2010 में अपने ससुर के घर गया था और वहां 15 दिनों तक रहा था। पी. डब्ल्यू. 1 ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को 30.09.2010 को अपने घर लाया और उसे आराम से रखा लेकिन अचानक प्रत्यर्थी के पिता 02.01.2011 को आए और प्रत्यर्थी को उसके वैवाहिक घर से अपने साथ ले गए। अतः, त्याग के आधार पर भी, अपीलार्थी तलाक की कोई डिग्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इस प्रकार, अपीलार्थी-पति यह साबित करने में भी विफल रहा है कि प्रत्यर्थी -पत्नी ने अपीलार्थी-पति को छोड़ दिया है।

36. इसलिए, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जो विवादित फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मांग करने वाले अपीलार्थी के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

37. विवादित फैसले की पुष्टि करते हुए वर्तमान अपील को तदनुसार खारिज किया जाता है।

(एस.बी. पी. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।